



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092026-275946
CG-DL-E-02092026-275946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4681]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 2026/भाद्र 11, 1948

No. 4681]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 2026/BHADRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

का.आ. 4868(अ).— केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से बारह माह की अवधि के लिए बीएचईएल हरिद्वार (उत्तराखंड) से गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गोरखपुर (हरियाणा) तक सड़क मार्ग से संचलन के लिए एक जनरेटर स्टेटर जिसका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/सकल वाहन भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मैसर्स सीजे डार्सल लॉजिस्टिक्स वीएचईएल हरिद्वार (उत्तराखंड) से गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गोरखपुर (हरियाणा) तक संचलन के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के एक जनरेटर स्टेटर का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स का उपयोग संबंधित माल के परिवहन में किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	प्राइम मूवर्स की पंजीकरण संख्या	मेक
1.	केए-01-एआर-0018	वॉल्वो-एफएम -500
2.	केए-01-एआर-0072	वॉल्वो-एफएम -500
3.	एमएच-04-एचडी-3274	वॉल्वो-एफएम -440
4.	एनएल-01-एके-7385	वॉल्वो-एफएच -520
5.	एनएल-02-के-6801	वॉल्वो-एफएच -520
6.	एमएच-04-एचडी-3275	वॉल्वो-एफएम 440
7.	एमएच-43-यू-8883	वॉल्वो-एफएच -520
8.	केए-01-एपी-8001	वॉल्वो-एफएच -500
9.	आरजे-27-जीई-8816	वॉल्वो-एफएच -520
10.	केए-01-एपी-6021	वॉल्वो-एफएच -500
11.	एमएच-04-एचडी-3273	वॉल्वो-एफएम -440
12.	एनएल-01-एके-2618	वॉल्वो-एफएच -520

- उपरोक्त संचलन में निम्नलिखित स्वतंत्र रूप से पंजीकृत मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर का उपयोग किया जाएगा:-

क्र. सं.	ट्रेलरों की पंजीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल वाहन भार (टन में)
01.	एचआर-55-पी-7274	गोल्डहोफर	4	72
02.	एचआर-55-एस-9643	गोल्डहोफर	4	72
03.	एचआर-55-एस-9651	गोल्डहोफर	6	108
04.	एचआर-55-एस-9653	गोल्डहोफर	4	72
05.	एचआर-55-एस-9649	गोल्डहोफर	6	108
06.	एचआर-55-पी-9946	गोल्डहोफर	6	108
07.	एचआर-55-पी-9948	गोल्डहोफर	4	72
08.	एचआर-55-एएन-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	4	72
09.	एचआर-55-एबी-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	4	72
10.	एचआर-55-एसी-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	4	72
11.	एचआर-55-ईई-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	6	108
12.	एचआर-55-एजे-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	6	108
13.	एचआर-55-एडी-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	4	72
14.	एचआर-55-एएल-0038	टी-॥ इंडिया प्रा.लि.	6	108

4. यान और भार विन्यास :- लदान स्थिति में धुरी का सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) और प्रेषित माल का समग्र आयाम निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मात्रा	प्रेषित माल का नाम	टन में अलदान धुरियों का भार (एमटी)	प्रेषित माल का भार (एमटी)	वाहन का लदान भार (एमटी)	प्रति धुरी भार रेखा (एमटी)	वाहन की लदान ऊँचाई (मीटर में)	प्रेषित माल का समग्र आयाम (मीटर में)			लंबाई एवं चौड़ाई में धुरियों के युग्मन का विवरण
								लं. (मी.)	चौ. (मी.)	ऊ. (मी.)	
i	1	जनरेटर स्टेटर	66एमटी	335एमटी	401एमटी	20.05	5.435 एम	10.16	4.44	4.260	10+10 धुरी (साथ-साथ)

5. उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

- बीएचईएल हरिद्वार (उत्तराखंड) से गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, गोरखपुर (हरियाणा) तक एक जनरेटर स्टेटर के संचालन का विशिष्ट मार्ग।
- लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
- ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण /राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।
- ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मैसर्स सीजे डार्सल लॉजिस्टिक द्वारा वहन की जाएगी।
- ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लदे हुए यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने के बाद, अपने खर्च पर, अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- ट्रांसपोर्टर राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं/ पुलों / अन्य सड़क प्रयोक्ताओं/ व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।

- viii. सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- ix. उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- x. यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- xi. सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- xii. ट्रेलरों की संपूर्ण चौड़ाई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- xiii. ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- xiv. ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में पंजीकृत हैं।
- xv. किसी यान (यानों) या अन्य पंजीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं उत्तरदायी होगा।
- xvi. माल के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- xvii. ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के परिवहन के दौरान संस्थापित वीएलटी डिवाइस (एआईएस-140 के अनुसार) सक्रिय हों।
- xviii. ट्रांसपोर्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि मार्ग में ओवरहेड संरचनाएं, आरओबी, आरयूबी, अंडरपास न हों जिससे माल की आवाजाही में ऊर्ध्वाधर बाधा उत्पन्न हो या अनुमति आरयूबी / एफओबी / ओवरपास को छोड़कर होगी जिसके लिए आवेदक ओडीसी / ओडब्ल्यूसी की आवाजाही के डायवर्जन करेगा।
- xix. ट्रांसपोर्टर को इस मंत्रालय के दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-35072/01/2010-एसएण्डआर(बी)पार्ट-2 के माध्यम से जारी दिशानिर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. आरटी-11042/09/2021-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2026

S.O. 4868(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Generator Stator from BHEL Haridwar (Uttarkahand) to Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana, Gorakhpur (Haryana) by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s CJ Darcl Logistics is the transporter of Bharat Heavy Electricals Limited for transportation of one Generator Stator from BHEL Haridwar (Uttarkahand) to Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana, Gorakhpur (Haryana).

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

S.No.	Registration no of Prime Movers	Make
1.	KA01AR0018	VOLVO- FM-500
2.	KA01AR0072	VOLVO- FM-500
3.	MH04HD3274	VOLVO - FM-440
4.	NL01AK7385	VOLVO -FH-520
5.	NL02K6801	VOLVO -FH-520
6.	MH04HD3275	VOLVO - FM-440
7.	MH43U8883	VOLVO -FH-520
8.	KA01AP8001	VOLVO -FH-500
9.	RJ27GE8816	VOLVO -FH-520
10.	KA01AP6021	VOLVO -FH-500
11.	MH04HD3273	VOLVO - FM-440
12.	NL01AK2618	VOLVO -FH-520

3. The following independently registered hydraulic trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Weight (in Tons)	Vehicle
01.	HR55P7274	GOLDHOFER	4	72	
02.	HR55S9643	GOLDHOFER	4	72	
03.	HR55S9651	GOLDHOFER	6	108	
04.	HR55S9653	GOLDHOFER	4	72	
05.	HR55S9649	GOLDHOFER	6	108	
06.	HR55P9946	GOLDHOFER	6	108	
07.	HR55P9948	GOLDHOFER	4	72	
08.	HR55AN0038	TII INDIA PVT LTD	4	72	
09.	HR55AB0038	TII INDIA PVT LTD	4	72	
10.	HR55AC0038	TII INDIA PVT LTD	4	72	
11.	HR55AE0038	TII INDIA PVT LTD	6	108	
12.	HR55AJ0038	TII INDIA PVT LTD	6	108	
13.	HR55AD0038	TII INDIA PVT LTD	4	72	
14.	HR55AL0038	TII INDIA PVT LTD	6	108	

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Quantity.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment(MT)	Laden Weight of the Vehicle(MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
								L (m)	W (m)	H (m)	
i	1	Generator Stator	66MT	335MT	401MT	20.05	5.435M	10.16	4.44	4.260	10+10 Axles (side by Side)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- i. The specific route for transportation of one Generator Stator from BHEL Haridwar (Uttarkahand) to Gorakhpur Haryana Anu Vidyut Pariyojana, Gorakhpur (Haryana).
- ii. Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- iii. The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf.
- iv. The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHIDCL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s CJ Darcl Logistics.
- v. The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National Highway Authority of India/NHIDCL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make arrangements at their cost, after obtaining the permission from the concerned Authorities, to cross the rivers/drains.
- vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHIDCL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
- viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
- ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
- x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
- xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
- xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.

- xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
- xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Nagaland, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan.
- xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
- xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.
- xvii. The transporter must ensure that the installed VLT Devices (as per AIS-140) are activated during transit of the consignment.
- xviii. The transporter must ensure that the route does not have overhead structures, RoBs, RuBs, underpasses causing vertical constraint to the subject movement or the permission will be excluding the RUBs/FOBs/Overpasses for which the transporter shall make diversions for movement of ODC/OWC.
- xix. The transporter must adhere to the guidelines by this Ministry vide letter RW/NH-35072/01/201 0-S&R(B)PT-2 dated 27th October, 2025.

[F. No. RT-11042/09/2021-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.